न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान बिरमा देवी बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – ...405.../2025
निर्णय दिनांक ..26/09/2025.....

बिरमा देवी पत्नी मंगला राम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 182 खसरा सं. 451 तादादी 5.2477 हैक्ट भूमि के राजस्व रिकार्ड में नामांतरण के समय किसी टेकनिकल दिक्कत के कारण प्रार्थी के नाम से दोहरी प्रविष्ठी दर्ज हो गई है। अतः उक्त खाता भूमि के राजस्व रिकार्ड में दोहरी प्रविष्ठि को सही करवाने की कृपा करावें।

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के मुताबिक रोही ग्राम सोमसीसर के खाता संख्या 182 में बिरमा देवी पत्नि मंगला राम शर्मा का नाम इंतकाल नं. 1362 दिनांक 04.04.2025 व इंतकाल नं. 1599 दिनांक 30.04.2025 के द्वारा एक ही नाम की जमाबंदी में दोहरी प्रविष्ठी दर्ज हो गई है। उक्त जमाबंदी में क्रम संख्या 10 व 11 पर अंकित नाम बिरमा देवी पत्नि मंगला राम शर्मा दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का दर्ज नाम (दोहरी प्रविष्ठी) को एक किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम की दोहरी प्रविष्ठी अंकित है। दोहरे नाम की प्रविष्ठी होने से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 182 खसरा सं. 451 तादादी 5.2477 हैक्ट भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के दोहरे नाम की प्रविष्ठी **Delete** कर इसके स्थान पर एक ही नाम बिरमा देवी पत्नि मंगला राम शर्मा अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/09/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner